

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या-.....

7 योजना/स्कीम का स्थान	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया-पड़रौना मार्ग एस0एच0-79 के किमी सं0-15 (वैनेज सं0-14.03) के मध्य दायाँ पटरी पर, गाटा संख्या-908 ग्राम-कोन्हवलिया त0 भैसाडाब पो0-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 8 वृक्षों पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।
I-राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
II-जिला	देवरिया
III-वन प्रभाग	सा0वा0 वन प्रभाग, देवरिया
IV-वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.075028 हे0
V-वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि।
VI-हरियाली का घनत्व	0.4
VII-प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न किए जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एक आर0एल0एफ0आर0एल0-2 मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0-4 मीटर भी संलग्न किए जाये।	संलग्न है।
VIII-भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता का संक्षिप्त टिप्पणी	भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र संवेदनशील नहीं है।
IX-वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	0.00
X-क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल, रिजर्व बाघ, रिजर्व हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव बार्डर की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाय)।	कोई नहीं।
XI-क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/सकिटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ/नहीं तो सत्सम्बन्धित ब्यौरा दें ?	नहीं।
XII-क्या कोई सुरक्षित पुराततीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं।
8-प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है।
9-क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हो तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी तक चल रहे हैं।	नहीं।

10-प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	संलग्न है।
(I) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र और आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्ड का आकार।	रिक्त है।
(II) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र और आस-पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है।
(III) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि	संलग्न हैं।
(IV) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिचय।	संलग्न है।
(V) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपायुक्ता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकार से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।
11-जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम-7(XI,XII) 8 से 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12-विभाग/जिला प्रोफाइल	
(I) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	2527.40 वर्ग कि०मी०
(II) जिले का वन क्षेत्र	264.345 हे०
(III) मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	14/118.198618 हे०
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	रिक्त है।
(ख) वनेत्तर भूमि पर	रिक्त है।
(5) अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	
(क) वन भूमि पर	0.99 हे०
(ख) वनेत्तर भूमि पर	0.162
13-प्रस्ताव को स्वीकृति करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रसित।

तिथि - 17/11/2021

हस्ताक्षर -

स्थान - देवरिया

नाम -

सरकारी मोहर -

(बी० कै० पाण्डेय)
प्रभारी प्रमाणीय निदेशक
पर्यावरण वन एवं जलवायु विभाग
देवरिया